``भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4605

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

न्यूनतम पारिश्रमिक गारंटी योजना

4605. श्री पशुपति कुमार पारस:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी राज्यों में न्यूतनम पारिश्रमिक गारंटी योजना को लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से लाभान्वित होने वाले युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना से रोजगार प्राप्त करने वाले संभावित बेरोजगार युवाओं की प्रतिशतता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के राज्य-वार लाभ के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) क्या बिहार के युवाओं की रोजगार-दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप बेरोजगारी में कमी आएगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम;1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के संगत उपबंधों के समामेलन, सरलीकरण तथा युक्तिकरण के उपरांत प्रारूप मजदूरी संबंधी श्रम संहिता विधेयक, 2019 तैयार किया गया है। मजदूरी संबंधी संहिता विधेयक, 2019 के प्रावधान पूर्व-विधायी चरण में हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, उसकी समीक्षा करने और उसे संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के संबंध में 01.04.2019 से न्यूनतम मजदूरी की प्रचलित दर की प्रति **अनुबंध** में है।

(ख) से (च): प्रश्न नहीं उठता।

*

****

दिनांक 22.07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4773 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरियों की क्षेत्रवार वर्तमान दरें

(01.04.2019 की स्थिति के अनुसार)

अनुसूचित नियोजन का नाम	**कामगार की श्रेणी**	**परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन(रुपये में)**		
		क्षेत्र क	**क्षेत्र ख**	**क्षेत्र ग**
1. कृषि	**अकुशल**	371.00	339.00	336.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	407.00	373.00	343.00
	कुशल/लिपिकीय	441.00	407.00	372.00
	अतिकुशल	488.00	454.00	407.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	**1. उत्खनन एवं 50मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:**			
	(क) मुलायम मिट्टी	393.00		
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी	592.00		
	(ग) कंकड़	784.00		
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में:	316.00		
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2417.00		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	2067.00		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	1213.00		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	995.00		
3. झाडू लगाना एवं सफाई करना	**अकुशल**	584.00	487.00	390.00
4. पहरा एवं निगरानी	**बिना शस्त्र के**	710.00	645.00	551.00
	शस्त्र सहित	772.00	710.00	645.00
5. लादना एवं उतारना	**अकुशल**	584.00	487.00	390.00
6. निर्माण	**अकुशल**	584.00	487.00	390.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	645.00	551.00	457.00
	कुशल/लिपिकीय	710.00	645.00	551.00
	अतिकुशल	772.00	710.00	645.00
7. गैर कोयला खानें		**भूमि के ऊपर**	**भूमि के नीचे**	
	अकुशल	390.00	487.00	
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	487.00	584.00	

	कुशल/लिपिकीय	584.00	681.00
	अतिकुशल	681.00	761.00

अनुसूचित नियोजन का नाम	**नामावली**
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा एवं निगरानी	पहरा/निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादना एवं उतारना	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडसशेडस-,गोदामों, वेयर हाउस आदि और (iii)गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6. निर्माण	निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7. कोयला खानों के अलावा	जिप्सम, बेराइट्स, बाक्साइट, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित, ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - 'क'

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलैक्स	
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
वृहन मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवी मुम्बई		पुणे	(यूए)		

क्षेत्र - 'ख'

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्टब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली -धारवाड़	नगर निगम	पुदुचेरी	(यूए)

अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	नगर निगम	जयपुर	नगर निगम	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर कैंट	(यूए)	सहारनपुर	नगर निगम
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर		शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुडी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	शोलापुर	नगर निगम
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरूवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	नगर निगम	तिरूचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरूपुर	
कटक	(यूए)	लुधियाना	नगर निगम	उज्जैन	नगर निगम
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	बड़ोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मल्लपुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार सिटी	नगर निगम
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाडा	(यूए)
ऐरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	नगर निगम
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	नगर निगम	वारंगल	(यूए)
गांवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड वाघला	नगर निगम	ग्रेटर विशाखापत्नम	नगर निगम	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नैल्लूर	(यूए)	गूंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे,जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

द्रष्टव्य: यू ए शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

*****